



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2010/ज्येष्ठ 24, 1932

No. 162]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2010/JYAISTHA 24, 1932

परमाणु ऊर्जा विभाग

संकल्प

मुम्बई, 4 जून, 2010

विषय : अन्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में सहयोग संबंधी समझौतों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ।

सं. 1/10/8/2009-ईआर.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रावधानों के अनुसरण में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार (जिसे इसके उपरांत 'विभाग' कहा गया है) ने दिनांक 18 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 61(अ) द्वारा विहित पदार्थों, विहित उपस्करों और प्रौद्योगिकी की एक सूची अधिसूचित की है, विभाग ने दिनांक 1 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या एईए/27(1)/2005-ईआर द्वारा 'नाभिकीय हस्तांतरण हेतु दिशा-निर्देश (निर्यात)' भी जारी किए हैं और सभी निर्यात इन दिशा-निर्देश द्वारा शासित होने जारी रहेंगे ।

2. सरकार, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, विकास, उपयोग और निपटान जिसमें इनसे संबंधित अनुसंधान किया जाना भी शामिल है, के लिए अन्य देशों के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है, सरकार किसी भी देश (जिन्हें इसके उपरांत 'सहयोगी देश' कहा गया है) के साथ किए गए अथवा किए जाने वाले सहयोग संबंधी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करारों (जिन्हें इसके उपरांत 'करार' कहा गया है) के तहत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी देश के साथ वाणिज्यिक संबंध बढ़ाए जाने को प्रोत्साहित करने की इच्छुक है, सरकार इसके साथ संलग्न अनुसूची-1 में सूचीबद्ध और परिभाषित नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति उन देशों द्वारा किए जाने की भी अनुमति दे सकती है जो भारत के साथ इनका व्यापार ऐसे देशों (जिन्हें इसके उपरांत 'व्यापारिक देश' कहा गया है) के साथ किसी औपचारिक द्विपक्षीय सहयोग

संबंधी करार के बिना करने के लिए इच्छुक हैं. ऐसे देशों से किसी भी अनुसूचीबद्ध मद की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा दिए गए और सम्मत आश्वासनों (जिन्हें इसके उपरांत 'आश्वासन' कहा गया है) पर आधारित होगी. अनुसूचीबद्ध मदों की आपूर्ति संगत करार और आश्वासनों के अनुसार की जाएगी.

3. अन्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में सहयोग हेतु लागू करारों की प्रतियां विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी.

4. इन करारों में नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण सरकारों के बीच सीधे ही अथवा प्राधिकृत/नामोदित व्यक्तियों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है. ऐसा कोई भी हस्तांतरण इन करारों में विनिर्दिष्ट शर्तों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी आश्वासन, आईईए के सुरक्षामापी को लागू करना, पर्याप्त भौतिक सुरक्षा का प्रावधान, पुनर्हस्तांतरण की शर्तें, सूचना की गोपनीयता और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, के अधीन किया जाएगा.

### प्राधिकार देना

5. भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति जो सहयोगी देश अथवा किसी व्यापारिक देश (जिन्हें इसके उपरांत आपूर्तिकर्ता कहा गया है), के व्यक्तियों के साथ वाणिज्यिक संबंध, सहयोग, सहकार अथवा अनुबंध (जिन्हें इसके उपरांत 'समझौता' कहा गया है) करने का इच्छुक है अथवा ऐसा समझौता कर चुका है, जैसे भी स्थिति हो, को ऐसे समझौते के लिए प्राधिकार प्राप्त करना होगा (जिसे इसके उपरांत 'प्राधिकार' कहा गया है).

6. उस व्यक्ति जिसे यह प्राधिकार दिया गया है, को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला अथवा किया जा चुका प्रस्तावित समझौता सहयोगी देश के साथ किए गए करार में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता है, अथवा भारत सरकार द्वारा सम्मत आश्वासनों के अनुकूल है.

7. उस व्यक्ति को, जिसे यह प्राधिकार दिया गया है, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सहयोगी देश अथवा व्यापारिक देश के व्यक्ति के साथ ऐसे समझौते से भारत में किसी भी अन्य किसी गतिविधि जिसमें नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी जो भारत में किसी व्यक्ति और/अथवा भारत सरकार द्वारा इस करार से अलग स्वतंत्र रूप से उत्पादित, अधिग्रहित अथवा विकसित की गई हैं, का इस्तेमाल शामिल है, बाधित अथवा अन्यथा उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा.

8. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, मुंबई-400 001, को आवेदन शुल्क निर्धारित करने सहित प्राधिकार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिन्हें इसके उपरांत 'सक्षम प्राधिकारी' कहा गया है) मनोनीत किया गया है.

#### आवेदन

9. पैराग्राफ -8 में उल्लिखित प्राधिकार की मंजूरी अनुसूची-II में दिए गए विहित फार्म में आवेदन करने पर दी जाएगी.

प्रत्येक आवेदन के साथ पैरा-8 के अंतर्गत यथाविहित शुल्क संलग्न किया जाएगा.

सक्षम प्राधिकारी, आवेदक की तकनीकी, वित्तीय और कानूनी सक्षमता से संतुष्ट होने पर ही प्राधिकार दे सकता है.

जिस व्यक्ति को प्राधिकार दिया गया है, उसे सक्षम प्राधिकारी को अंतिम रूप से किए गए विलेख जिसमें किए गए समझौते का उल्लेख होगा, की प्रति उस तारीख जिस को ऐसा समझौता किया गया है, से 30 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध करानी होगी.

#### अतिरिक्त सूचना

10. सक्षम प्राधिकारी ऐसी किसी अतिरिक्त सूचना और संगत सुविधाओं तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर सकता है जिसे वह प्राधिकार देने हेतु आवेदन पर

कार्रवाई करने, अथवा जिन शर्तों पर प्राधिकार दिया गया है, का लगातार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझता है।

### रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं

11. ऐसे प्राधिकार के तहत कोई भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इसके उद्देश्य के 'प्राप्तकर्ता' कहा गया है) को ऐसे हस्तांतरण का ब्यौरा 30 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अपेक्षित होगा जिसमें ऐसे हस्तांतरण और किसी भी ऐसे कार्य जो उस व्यक्ति द्वारा करार अथवा आश्वासन के अनुसरण में किया गया है, का विवरण दिया जाएगा।
12. प्रत्येक प्राप्तकर्ता को प्रत्येक वर्ष की 15 अप्रैल तक एक वार्षिक प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जोकि ठीक पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित होगा और जिसमें किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, और किसी भी ऐसे कार्य जो उस व्यक्ति द्वारा करार अथवा आश्वासन के अनुसरण में किया गया है, का विवरण होगा।
13. प्रत्येक प्राधिकार अ-हस्तांतरणीय, असमनुदेशनीय और ऐसी शर्तों और रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के अधीन होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएंगी अथवा तत्पश्चात् मांगी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी किसी भी उस शर्त, जिस पर यह प्राधिकार दिया गया था, का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी रिपोर्टिंग अपेक्षा का अनुपालन न करने पर प्राधिकार को स्थगित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे स्थगन अथवा प्रतिसंहरण का आदेश संबंधित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर देने और उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ही दिया जाएगा।

## हस्तांतरण की मान्यता और सत्यापन

14. किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में सहयोगी देश के साथ सहयोग संबंधी करार अथवा भारत सरकार द्वारा व्यापारिक देश को दिए गए आश्वासन के अनुसरण में तभी हस्तांतरित होना माना जाएगा जब भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ कोई समझौता करने से पहले प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया हो, और सक्षम प्राधिकारी को ऐसा हस्तांतरण किए जाने की सूचना दे दी गई हो. भारत सरकार के पास ऐसे किसी हस्तांतरण को किसी भी तरीके से जिसे वह आवश्यक समझता है, सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

## कानूनी अपेक्षाएं

15. प्राधिकारों के अनुसरण में समझौते परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों, अन्य लागू भारतीय कानूनों और नियमों, विनियमों और उनके अंतर्गत बनाए दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन होने जारी रहेंगे. ये समझौते भारत सरकार की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों जिनमें भारत एक पक्षकार है या हो सकता है, के भी अनुरूप होंगे.

## अनुसूची-I

अनुसूची - 1 "नाभिकीय पदार्थ" से कोई भी "स्रोत पदार्थ" अथवा "विशिष्ट विखंडनीय पदार्थ" अभिप्रेत है क्योंकि ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के विधान के अनुच्छेद XX में परिभाषित हैं.

"गैर-नाभिकीय पदार्थ" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जो किसी रिएक्टर में उच्च वेग वाले न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने तथा आगे और संलयन की संभावना को बढ़ाने के लिए उपयोग करने हेतु उपयुक्त है, और इसमें ड्यूटेरियम, भारी पानी, तथा ड्यूटेरियम यौगिक जिनमें हाइड्रोजन

अणुओं की तुलना में ड्यूटेरियम का अनुपात 1:5000 की मात्रा में बढ़ जाता है, और 5 ग्राम प्रति मिलियन बोरॉन के बराबर से बेहतर शुद्धता वाले स्तर तथा 1.50 g/cc से अधिक घनत्व वाले ग्रेफाइट शामिल हैं;

"उपस्कर" से ऐसा उपस्कर अभिप्रेत है जिसे किसी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ के उत्पादन अथवा उपयोग के लिए, अथवा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन अथवा उपयोग के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित अथवा अनुकूलित किया गया हो अथवा जिसका इस्तेमाल किया जाता हो अथवा किया जाना हो, और इसमें नाभिकीय रिएक्टर, ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र, ईंधन संविरचन संयंत्र, यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, यूरेनियम और प्लूटोनियम रूपांतरण सुविधाएं, भारी पानी उत्पादन संयंत्र, और ऐसे संयंत्रों/ सुविधाओं के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित, निर्मित, अनुकूलित अथवा इनमें इस्तेमाल किए जा रहे अथवा इस्तेमाल में लाए जाने वाले संयंत्र उपस्कर शामिल हैं;

"प्रौद्योगिकी" से वह विशिष्ट सूचना अभिप्रेत है जो इस अनुसूची में सूचीबद्ध मदों के विकास, उत्पादन और उपयोग के लिए जरूरी है सिवाय उन आंकड़ों के जो जनसामान्य प्रक्षेत्र में हैं अथवा आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित हैं;

"सूचना" से कोई भी ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो जनसामान्य प्रक्षेत्र में नहीं है और ऐसे किसी करार के अनुसरण में किसी भी रूप में हस्तांतरित की गई है तथा पक्षकारों द्वारा करार के माध्यम से हार्ड कापी अथवा अंकीय रूप में इस प्रकार नामोद्विष्ट और प्रलेखित की गई है कि यह ऐसे करार के अधधीन होगी, लेकिन जब भी कोई पक्षकार ऐसी सूचना का हस्तांतरण कर देता है अथवा कोई तीसरा पक्षकार विधि सम्मत रूप से जनसामान्य प्रक्षेत्र में इसे जारी कर देता है तब यह सूचना नहीं रहेगी.

## अनुसूची - II

(आवेदन शुल्क रु.....)

भारत सरकार के दिनांक----- के संकल्प सं. ----- के अंतर्गत यथापेक्षित सहयोगी देश/व्यापारिक देश के व्यक्ति के साथ भारत के किसी व्यक्ति द्वारा समझौता किए जाने के लिए प्राधिकार देने संबंधी आवेदन

1. जमा किये गये आवेदन शुल्क का ब्यौरा :

2. आवेदनकर्ता का विवरण :

क) नाम:

ख) पता :

ग) नागरिकता :

घ) यदि कंपनी है तो पंजीकृत कार्यालय का पता:

ड) किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण का स्तर :

च) इस संकल्प की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक कोई अन्य सूचना :

3. सभी इच्छुक व्यक्तियों का विवरण (यदि एक से अधिक इच्छुक व्यक्ति हैं, जैसेकि सहायक कंपनियां, ठेकेदार और उप-ठेकेदार, तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह सूचना दी जानी चाहिए तथा उसे 3.1, 3.2, 3.3, आदि के रूप में संख्याबद्ध किया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी भावी तिथि को ऐसी रुचि रखता है तो उसका विवरण ऐसी रुचि उत्पन्न होने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए):

3.1:-

क). नाम :

ख). पता :

ग). नागरिकता :

घ). यदि कंपनी है तो पंजीकरण संख्या और पंजीकृत कार्यालय का पता (पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगत ज्ञापन और संगत अनुच्छेद तथा पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें):

ङ). किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण का स्तर :

च). प्राधिकार हेतु अपेक्षाएं पूरी करने के लिए कोई अन्य आवश्यक सूचना :

3.2:-

(यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागज का उपयोग करें)

4. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आवेदनकर्ता को आज की तारीख तक जारी किये गये सभी लाइसेंसों/ प्राधिकारों का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागज का उपयोग करें)

5. प्रस्तावित कार्यकलाप का पूर्ण विवरण, किसी भी शामिल सुविधा का नाम और स्थल, उक्त व्यक्ति का नाम व पता जिसके साथ मिलकर संबद्ध कार्यकलाप निष्पादित किया जाना है तथा यह विशिष्ट परियोजना का विस्तृत विवरण जिससे यह कार्यकलाप संबंधित है (किए जाने वाले प्रस्तावित समझौते का मसौदा विलेख (डीड) प्रस्तुत किया जाए) :

6. किसी ऐसी सूचना का पदनाम जिसे स्वामित्व वाला माना जाता है तथा जिसके सार्वजनिक प्रकटन के परिणामस्वरूप आवेदक की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को अत्यधिक क्षति पहुंच सकती है।

7. प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं, अपनी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों उप-ठेकेदारों की ओर से अनुबंध में दिये प्रपत्र के अनुसार वचनबद्धता।



## आवेदन का अनुबंध

## वचनबद्धता

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारत सरकार

मुंबई

हम, (प्राप्तकर्ता का नाम), -----  
 (जिसके साथ समझौता करने की परिकल्पना की गई है उस व्यक्ति का विवरण दें), -----  
 ----- (जिसे इसके उपरांत आपूर्तिकर्ता कहा गया है), के साथ एक  
 समझौता ( समझौते के स्वरूप का विशेष रूप से उल्लेख करें) -----  
 -----करना चाहते हैं, और सहयोग संबंधी करार (सहयोग  
 संबंधी करार का शीर्षक तथा देश का नाम लिखें) -----के अंतर्गत  
 और/अथवा भारत सरकार द्वारा -----(देश का नाम लिखें) को दिये गए  
 आश्वासनों के अनुसरण में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

उपरोक्त के संबंध में हम एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करते हैं और वचन देते हैं -

1. कि हमने करार/आश्वासनों को पढ़ और समझ लिया है तथा हम इसकी सभी शर्तों का पालन करेंगे।
2. कि एतद्वारा जिस प्राधिकार के लिए आवेदन किया गया है यदि वह मंजूर किया जाता है तो इससे हम उन विशिष्ट अनुमोदनों या लाइसेंसों जिन्हें विभिन्न प्रयोज्य कानूनों एवं उनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत हमें प्राप्त करना अपेक्षित है, जैसी कानूनी अपेक्षाओं से मुक्त नहीं होंगे।

3. कि हम इस बात से अवगत हैं कि जिस प्राधिकार के लिए एतद्वारा आवेदन किया गया है, यदि वह हमें मंजूर किया जाता है तो वह अहस्तांतरणीय और असमनुदेशनीय होगा तथा हम उसे न तो किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करेंगे और न ही समनुदेशित करेंगे।
4. कि जो आपूर्तिकर्ता करार/आश्वासनों की शर्तों का उल्लंघन करता है उसके साथ हम न तो कोई समझौता करेंगे और न ही किसी समझौते में शामिल होंगे।
5. कि हमने न तो भारत में किसी व्यक्ति द्वारा या भारत सरकार द्वारा करार से स्वतंत्र रूप में उत्पादित, अर्जित या विकसित किसी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना या प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित भारत की किन्हीं अन्य गतिविधियों में व्यवधान या अन्यथा रूप में हस्तक्षेप उत्पन्न करने वाला कोई समझौता किया है और न ही करेंगे।
6. कि आपूर्तिकर्ता से हमारे द्वारा प्राप्त किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, सूचना या प्रौद्योगिकी या उनसे व्युत्पन्न मदों का उपयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु किया जाएगा और उनका उपयोग किसी भी नाभिकीय विस्फोटक उपकरण, किसी विस्फोटक उपकरण पर अनुसंधान या उसका विकास करने या किसी सैन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
7. कि आपूर्तिकर्ता से हमारे द्वारा प्राप्त किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, या उनसे व्युत्पन्न मदों तथा आपूर्तिकर्ता से हमारे द्वारा प्राप्त सूचना या प्रौद्योगिकी से व्युत्पन्न या उपयोग हेतु आपूर्ति की गई मदों का उपयोग केवल आईएईए सुरक्षासंधि के अधीन वाली सुविधाओं में ही किया जाएगा।
8. कि हमने आपूर्तिकर्ता के साथ एक गोपनीयता करार किया है जो हमें और आपूर्तिकर्ता को यह व्यादेश देता है कि हम अन्य पक्षकार से प्राप्त किसी गोपनीय सूचना को न तो पुनर्हस्तांतरित करें और न ही प्रकट करें, और न ही ऐसी गोपनीय सूचना के उपयोग से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्युत्पन्न किसी सुविधा, उपस्कर या पदार्थ का हस्तांतरण, सूचना प्रकट करने वाले पक्षकार या उसकी तत्संबंधी सरकार की पूर्व लिखित रूप में अनुमति के बिना भारत में विद्युत संयंत्रों के निर्माण या उपस्कर या घटकों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित

सांविधिक/विनियामक अनुमोदनों के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को न्यूनतम आवश्यक गोपनीय सूचना प्रकट किए जाने को छोड़कर, किसी अन्य देश या व्यक्ति को नहीं करेंगे।

9. कि हम आपूर्ति किये गये किसी भी नाभिकीय पदार्थ या आईईईए के सुरक्षोपायों के अधीन वाली सुविधाओं से व्युत्पन्न किसी भी नाभिकीय पदार्थ के भंडारण का पर्याप्त भौतिक संरक्षण सुनिश्चित करेंगे और न्यूनतम पर ऐसा भौतिक संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रलेख आईएनएफसीआईआरसी/225/आरईवी.4 (संशोधित) में वर्णित सिफारिशों या इस दस्तावेज में भारत सरकार द्वारा सम्मत किसी संशोधन (नाभिकीय पदार्थ का हस्तन करने वाले प्राप्तकर्ता पर लागू) के तुल्यनीय संरक्षण प्रदान करेगा।
10. कि यह वचनबद्धता हमारे उत्तराधिकारियों के हित में, हमारी सभी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों एवं ऐसी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों के हित में उत्तराधिकारियों पर बाध्य होगी तथा हम ऐसी किसी अतिरिक्त भावी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते रहेंगे।

ए. गीतेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY****RESOLUTION**

Mumbai, the 4th June, 2010

**Subject : Guidelines for implementation of arrangements for cooperation concerning peaceful uses of atomic energy with other countries.**

**No. 1/10/8/2009-ER.**—Pursuant to the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 as amended from time to time, the Department of Atomic Energy, Government of India (hereinafter referred to as the 'Department') has notified a list of Prescribed Substances, Prescribed Equipment and Technology *vide* notification No. S.O. 81(E), dated 18th January 2006. The Department has also issued 'Guidelines for Nuclear Transfers (Exports), *vide* notification No. AEA/27(1)/2005-ER dated 1st February, 2006 and all exports will continue to be governed by these guidelines.

2. Government is keen to promote civil nuclear cooperation and trade with other countries to produce, develop, use, and dispose of atomic energy, including carrying out research connected therewith. The Government intends to encourage the development of commercial relations with any country in the area of atomic energy, under bilateral or multilateral agreements for cooperation (hereinafter referred to as the 'Agreement') that it has entered or may enter into with any country (hereinafter referred to as a 'cooperating country'). The Government may also allow supplies of nuclear material, non-nuclear material, equipment, components, information and technology listed and defined in Schedule-I hereto (hereinafter referred to as the 'Scheduled items') from countries willing to trade them with India without a formal bilateral agreement of cooperation with such countries (hereinafter referred to as a 'trading country'). Supply of any scheduled item from such country shall be based on assurances from and agreed to by the Government of India (hereinafter referred

to as the 'assurances'). The supply of the Scheduled items shall be in accordance with the relevant agreement and assurances.

3. Copies of the Agreements in force for the cooperation concerning peaceful uses of atomic energy with other countries would be made available on the website of the Department.

4. These Agreements provide for the transfer of nuclear material, non-nuclear material, equipment, components, information and technology directly between the Governments or through authorized / designated persons. Any such transfer is subject to the conditions stipulated in the Agreements which *inter-alia* include peaceful-use assurances, application of IAEA safeguards, provision of adequate physical protection, conditions for retransfer, confidentiality of information and intellectual property rights.

### **Authorization**

5. A person in India who intends to enter into commercial relationship, collaboration, cooperation or contract (hereinafter referred to as an 'arrangement') or has already entered into such an arrangement with persons in a cooperating country or a trading country (hereinafter referred to as a Supplier), as the case may be, shall seek an authorization (hereinafter referred to as the 'authorization') for such an arrangement.

6. A person, who has been granted an authorization, shall be required to ensure that the arrangement proposed to be entered or already entered into by him, meets all conditions stipulated in the Agreement with a cooperating country, or is consistent with the assurances agreed to by the Government of India.

7. A person, who has been granted an authorization, shall also ensure that such an arrangement with a person in a cooperating country or a trading country shall not hinder or otherwise interfere with any other activities in India involving the use of nuclear material, non-nuclear material, equipment, components, information or

technology produced, acquired or developed by persons in India and / or the Government of India independent of the Agreement.

8. Additional Secretary, Department of Atomic Energy, Anushakti Bhawan, Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Mumbai - 400001, is designated as the competent authority (hereinafter referred to as the 'Competent Authority') for grant of authorization including prescribing application fee.

### **Application**

9. Authorization referred to in paragraph 8 may be granted on an application made in the prescribed form as given in Schedule-II.

Every application should be accompanied with a fee as prescribed pursuant to para 8.

The Competent Authority may grant authorization only if he is satisfied as to the technical, financial and legal competence of the applicant.

A person who has been granted an authorization shall furnish to the Competent Authority a copy of the final deed containing the arrangement entered into within a period of 30 days from the date such arrangement is entered.

### **Additional Information**

10. Competent Authority may seek such additional information and facilitation of access to relevant facilities as he may consider necessary for processing an application for authorization, or to ensure continued compliance with the conditions on which the authorization has been issued.

### **Reporting requirements**

11. Every person receiving any nuclear material, non-nuclear material, equipment, components, information or technology under such authorization (hereinafter referred to as the 'Recipient') shall be required to report to the Competent Authority, details of such transfers within 30 days thereof providing

details of such transfer and any activity that was carried out by such person pursuant to the agreement or the assurance.

12. Every Recipient shall be required to submit an annual report by 15<sup>th</sup> April of every year for the immediately preceding financial year providing the details of transfers of any nuclear material, non-nuclear material, equipment, information, or technology, and any activity that was carried out by such a person pursuant to the agreement or the assurance to the Competent Authority.

13. Every authorization shall be non-transferable, non-assignable and subject to such conditions and reporting requirements as may be stipulated therein or subsequently sought. The Competent Authority may suspend or revoke an authorization for breach of any of the conditions on which it is granted or for non-compliance of any reporting requirement, provided that such suspension or revocation shall be ordered only after giving the person concerned an opportunity of making a representation and considering his representation.

#### **Recognition and verification of transfer**

14. Any nuclear material, non-nuclear material, equipment, components, information or technology shall be deemed to have been transferred pursuant to an agreement for cooperation with a co-operating country or an assurance given by the Government of India to a trading country only if an authorization has been obtained by the person in India before entering into any arrangement with a Supplier, and the Competent Authority has been informed of such transfer having taken place. The Government of India reserves the right to verify any such transfer in any manner it may consider necessary.

#### **Legal requirements**

15. Arrangements pursuant to authorizations shall continue to be subject to provisions of the Atomic Energy Act, 1962, other applicable Indian laws and rules, regulations and guidelines made thereunder. These arrangements shall also

conform to the policies of the Government of India and the international treaties to which India is or may be a Party.

#### **Schedule - I**

"Nuclear material" means any "source material" or "special fissionable material" as those terms are defined in Article XX of the Statute of the International Atomic Energy Agency (IAEA);

"Non-nuclear material" means material suitable for use in a reactor to slow down high velocity neutrons and increase the likelihood of further fission and includes deuterium, heavy water and deuterium compounds in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5000 in quantities and graphite having a purity level better than 5 parts per million boron equivalent and with a density greater than 1.80 g/cc;

"Equipment" means equipment specially designed or adapted or which is used or intended to be used for the production or utilisation of any nuclear material, non-nuclear material, or for the production or utilisation of atomic energy and includes nuclear reactors, fuel reprocessing plants, fuel fabrication plants, uranium enrichment plants, uranium & plutonium conversion facilities, heavy water production plants, and associated equipment specially designed, prepared, adapted or used or intended to be used in such plants / facilities;

"Technology" means the specific information necessary for the development, production or use of items listed in this Schedule with the exception of data in the public domain or of Basic scientific research.

"Information" means any information that is not in public domain and is transferred in any form pursuant to such an Agreement and is so designated and documented in hard copy or digital form by agreement of the Parties that it shall be subject to such Agreement, but will cease to be information whenever the Party transferring the information or any third party legitimately releases it in public domain.



**Schedule - II**

(Application Fee:Rs.....)

**Application for authorization by a person in India to enter into an arrangement with a person in a cooperating country / a trading country as required under the GOI Resolution No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_**

1. Details of application fee submitted:

2. Particulars of the applicant:

- a). Name:
- b). Address:
- c). Citizenship:
- d). If company, address of registered office:
- e). Degree of control by any foreign person:
- f). Any other information necessary to fulfill requirements of this resolution:

3. Particulars of all interested persons (if there are more than one interested persons such as subsidiaries, contractors and sub-contractors, this information must be given for each such person and may be numbered as 3.1, 3.2, 3.3, etc. If any person acquires such interest at a future date, particulars thereof must be furnished to the Competent Authority within 30 days of acquisition of such interest):

3.1:-

- a). Name:
- b). Address:
- c). Citizenship:
- d). If company, registration number and address of registered office (attach a certified copy of the certificate of registration, memorandum & articles of association and audited balance sheet of immediately preceding financial year):
- e). Degree of control by any foreign person:
- f) Any other information necessary to fulfill requirements for authorization:

3.2:-

(add extra sheet, if required)

4. Particulars of all licences/authorizations issued to the applicant under Atomic Energy Act, 1962 till date (add extra sheet, if required)
5. A complete description of the proposed activity, name and location of any facility involved, name and address of the person with whom the activity is to be performed and a detailed description of the specific project to which the activity relates (draft deed of arrangement proposed to be entered must be furnished) :
6. Designation of any information considered proprietary whose public disclosure would cause substantial harm to the competitive position of the applicant;
7. An undertaking as per the format in the Annex by the Recipient on behalf of itself its subsidiaries, contractors and sub-contractors.

**Annex to application****Undertaking**

The Department of Atomic Energy  
Government of India  
Mumbai

We, (the name of the Recipient), \_\_\_\_\_ wish to enter into an arrangement (specify type of arrangement) \_\_\_\_\_ with (Give details of the person with whom arrangement is envisaged), \_\_\_\_\_, (hereinafter referred to as the Supplier), and avail of the benefits under the agreement of cooperation (Give title of the agreement of cooperation and the Country) \_\_\_\_\_ and / or pursuant to assurances provided by the Government of India to (Give name of the country) \_\_\_\_\_.

*(Strike out whichever is not applicable)*

In connection with the above we hereby declare and undertake as follows –

1. that we have read and understood the Agreement / assurances and shall abide by all its stipulations.
2. that authorization hereby applied for, if granted shall not relieve us of legal requirements as to specific approvals or licences that we may be required to obtain under various applicable statutes and rules and regulations made thereunder.
3. that we are aware that the authorization hereby applied for, if granted to us shall be non-transferable and non-assignable and we shall neither transfer nor assign the same to any person.
4. that we neither have nor shall enter into any arrangement with the Supplier which violates the conditions of the Agreement / assurances.
5. that we neither have entered nor shall enter into any arrangement which hinders or otherwise interferes with any other activities in India involving the use of nuclear material, non-nuclear material, equipment, components, information or technology produced, acquired or developed by persons in India or the Government of India independent of the Agreement.

6. that any nuclear material, non-nuclear material, equipment, information, or technology received by us from the Supplier or items derived therefrom shall be used for peaceful purposes and shall not be used for any nuclear explosive device, for research on or development of any explosive device or for any military purpose.
7. that any nuclear material, non-nuclear material or equipment received by us from the Supplier or items derived therefrom and items derived from information or technology received by us from the Supplier shall be used or supplied for use only in facilities under IAEA safeguards.
8. that we have entered into a Confidentiality Agreement with the Supplier which enjoins on us and the Supplier not to retransfer or disclose any Confidential Information received from the other Party, nor transfer any facilities, equipment or materials derived through the use of such Confidential Information, directly or indirectly, without prior written permission of the disclosing party or its respective Government to any other country, or person, except for disclosure of minimum necessary confidential information to those ministries/departments of the Government of India wherefrom statutory/regulatory approvals are required for the construction of power plants or for the manufacture of equipment or components in India.
9. that we shall ensure adequate physical protection for storage of any supplied nuclear material or any nuclear material derived from facilities under IAEA safeguards and such physical protection, at a minimum, shall provide protection comparable to the recommendations set forth in the International Atomic Energy Agency document INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected) or any revisions of this document that has been agreed to by the Government of India. (applicable to Recipients handling nuclear material.)
10. that this undertaking shall be binding on our successors in interest, all our subsidiaries, contractors and sub-contractors and successors in interest of such subsidiaries, contractors and sub-contractors and we shall keep the Competent Authority informed about any additional such future subsidiaries, contractors and sub-contractors.

A. GITESH SHARMA, Jt. Secy.

2308 G5/10-7